

आदेश व इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 125/2020 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन)

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बापू नगर, जयपुर (राज.)

प्रार्थी बैंक

बनाम

- (1) मैसर्स श्री याम मोरानी राईज प्रा. लि. (जरिये भागीदार)
(अ) प्लॉट नं. 3, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर
(ब) वी के आई रोड नम्बर 9 विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर
- (2) श्री तेजमल मोरानी पुत्र श्री नानकराम मोरानी
104, गुरु जम्बेश्वर नगर, क्वीन्स रोड, वैशाली नगर, जयपुर
- (3) श्री जवाहर मोरानी पुत्र श्री नानकराम मोरानी
104, गुरु जम्बेश्वर नगर, क्वीन्स रोड, वैशाली नगर, जयपुर एवं
89 ए, गुरु जम्बेश्वर नगर, क्वीन्स रोड, वैशाली नगर, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation
and reconstruction of financial assets and
enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :-

1. बैंक प्रतिनिधि प्रार्थी बैंक की ओर से।



आदेश

दिनांक: 27-08-2020


1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 25.09.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी तेजु मल मोरानी पुत्र श्री नानकराम मोरानी के स्वामित्व की व्यवसायिक सम्पत्ति ए-10 सुदर्शनपुरा विस्तार, औद्योगिक क्षेत्र बाईस गोदाम जयपुर क्षेत्रफल 392.80 वर्गमीटर को बन्धक कर कुल राशि 1,50,00,000/-की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 04.12.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी बैंक के विभागीय प्रतिनिधि को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को टर्म लोन एवं केश क्रेडिट में कुल 1,50,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 1,53,43,802/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 04.12.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी तेजू मल मोरानी पुत्र श्री नानकराम मोरानी के स्वामित्व की व्यवसायिक सम्पत्ति ए-10 सुदर्शनपुरा विस्तार, औद्योगिक क्षेत्र बाईस गोदाम जयपुर क्षेत्रफल 392.80 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हसब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
7. आदेश आज दिनांक 27.08.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।




(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलेक्टर) जयपुर